न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 179/2021

वादीगण–

1. खेताराम पुत्र आसाराम
2. किस्तुराराम पुत्र आसाराम
3. राजूराम पुत्र कुम्भाराम
4. उगराराम पुत्र कुम्भाराम, जातियान–जाट निवासीगण–बोसेरी, तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम
2. सुरजाराम पुत्र कुम्भाराम
   जातियान जाट निवासी बोसेरी हाल निवासी तेहनदसर तह. बिदासर, चुरू।
3. केशरी देवी पुत्री कुम्भाराम
4. पेमली देवी पुत्री कुम्भाराम
5. मनोहरी पुत्री कुम्भाराम, जातियान–जाट निवासीगण–बोसेरी, तहसील जायल, नागौर।
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बोसेरी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 13 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नंबर [redacted]13 रकबा 13.6298 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल खसरा नंबर 13 रकबा 130.14 बीघा में से राजस्थान सरकार के समर्पण कार्यालय तहसीलदार जायल के आदेश कमांक दिनांक 21.02.2011 के समर्पण पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 389 दर्ज किया गया जिसके खसरा नंबर 317/13 रकबा 0.15 बीघा व खसरा नंबर 318/13 रकबा 0.15 बीघा भूमि का उप तहसीलदार डेह के द्वारा नामान्तकरण दिनांक 13.04.2011 को स्वीकृत किया गया। जिसके बाद में मूल खसरा नंबर 13 रकबा 129.04 बीघा रहा था जबकि इस मूल खसरा नंबर 13 में से समर्पण पत्र के पश्चात् समर्पण के खसरा नंबर 317/13 जो कि मूल खसरा नंबर 13 को दो भागों में विभाजित करता है जिससे मूल खसरा नंबर 13 रकबा 129.04 बीघा के दो खसरों में विभाजित हो जाता है जिसके नवीन खसरा नंबर 13 व 524/13 दर्ज हो जाते है। नवीन खसरे के दौरान खसरा नंबर 13 रकबा 45 बीघा दर्ज हो गया जबकि वास्तव में मौके की स्थिति एवं कब्जे काश्त की स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 13 रकबा 47.12 है जो

21/6/2022
सहायक कलेक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

वर्तमान रकबा 45 बीघा (45 प्लस 2.12 बराबर 47.12 बीघा) के स्थान पर 47.12 मौके की स्थिति अनुसार एवं खसरा नंबर 524/13 रकबा 84.04 बीघा दर्ज हो गया जबकि वास्तविक स्थिति व कब्जा काश्त के अनुसार एवं मौके की स्थिति के अनुसार कुल रकबा 81.12 बीघा है जो राजस्व रेकर्ड में एवं मौके की स्थिति में भिन्नता होने की वजह से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। क्यों कि मूल खसरा नंबर 13 रकबा 129.04 बीघा में से नवीन खसरा नंबर 13 व 524/13 अलग–अलग होने के बाद भी रकबा प्रभावित नहीं होता है। राजस्व कर्मवारियों की भूल से संवहन से राजस्व रेकर्ड की तरमीम के दौरान मूल खसरा नंबर 13 के विभाजन से नवीन खसरा नंबर 13 व 524/13 में तरमीम के दौरान मौके पर रकबे की स्थिति को बिना ध्यान में रख कर रकबा दर्ज कर दिया था जिससे राजस्व रेकर्ड में असुविधा हुई है। राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर रेकर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी का बंटवाड़ा किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 खेताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7663 हैक्टैयर में से 13.1117 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार एवं 0.2428 हैक्टेयर सहखातेदारी में तथा 6.6368 हैक्टैयर कुल रकबा 81 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 किस्तुरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 524/13 रकबा 84.04 बीघा राजस्व रेकर्ड के अनुसार जबकि मौके की स्थिति के अनुसार रकबा 81.12 बीघा में से 81.12 बीघा अर्थात मौजूदा स्थिति के अनुसार सम्पर्ण रकबा 81.12 बीघा गया है। वादी संख्या 3 राजूराम व वादी संख्या 4 उगराराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मोहनराम , सुरजाराम, केशरी, पेमली, मनोहरी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 115.19 बीघा में से 5.4146 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 13 रकबा 129.04 बीघा में से 47.12 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। (जो वर्तमान में खसरा नंबर 13 रकबा 45 + खसरा नंबर 524/13 रकबा 84.04 बीघा में से 2.12 बीघा रखा गया है जो मूल खसरा नंबर 13 रकबा 129.04 बीघा का ही एक भाग है)। वादी संख्या 1,3,4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 75 रकबा 115.19 बीघा मेंसे 1.10 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते हेतु रखा गया है जो गैर मुमकिन रास्ता सहखातेदारी में दर्ज किया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने दिनांक 29.09.2021 को उपस्थित न्यायालय राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर पत्रावली संलग्न है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार केवल

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र खेताराम पुत्र आसाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम बोसेरी तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 32 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.09.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा बोसेरी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 13, 524/13, 75 की भूमि में से हिस्से विशेष की भूमि एवं रास्ते के रूप में उपयोग हेतु भूमि का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 13, 524/13, 75 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2250 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी खेताराम, किस्तुरराम, राजूराम, उगराराम, मोहनराम, सुरजाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान तिलोकराम व धनेश तथा भू. अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा बोसेरी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 13 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नंबर 524/13 रकबा 13.6298 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर : मौजा बोसेरी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 13 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नंबर 524/13 रकबा 13.6298 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 खेताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7663 हैक्टैयर में से 13.1117 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 किस्तुरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 524/13 रकबा 13.2089 सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 राजूराम व वादी संख्या 4 उगराराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मोहनराम , सुरजाराम, केशरी, पेमली, मनोहरी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर अर्थात 115.19 बीघा में से 5.4146 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 13 रकबा 7.7052 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. वादी संख्या 1,3,4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर में से 0.2430 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते हेतु रखी गई है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।(रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 179/2021

वादीगण–

1. खेताराम पुत्र आसाराम
2. किस्तुराराम पुत्र आसाराम
3. राजूराम पुत्र कुम्भाराम
4. उगराराम पुत्र कुम्भाराम, **जातियान–जाट निवासीगण–बोसेरी, तहसील जायल, नागौर।**

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम
2. सुरजाराम पुत्र कुम्भाराम
   जातियान जाट निवासी बोसेरी हाल निवासी तेहनदसर तह. बिदासर, चुरू।
3. केशरी देवी पुत्री कुम्भाराम
4. पेमली देवी पुत्री कुम्भाराम
5. मनोहरी पुत्री कुम्भाराम, **जातियान–जाट निवासीगण–बोसेरी, तहसील जायल, नागौर।**
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर : मौजा बोसेरी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 13 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नंबर 524/13 रकबा 13.6298 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 खेताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7663 हैक्टैयर में से 13.1117 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 किस्तुरराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 524/13 रकबा 13.2089 सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 राजूराम व वादी संख्या 4 उगराराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मोहनराम , सुरजाराम, केशरी, पेमली, मनोहरी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

मौजा बोसेरी का खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर अर्थात 115.19 बीघा में से 5.4146 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 13 रकबा 7.7052 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

4. वादी संख्या 1,3,4 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में मौजा बोसेरी के खेत खसरा नंबर 75 रकबा 18.7693 हैक्टेयर में से 0.2430 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते हेतु रखी गई है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।(रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – महनताना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)